



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 246 राँची, मंगलवार,

3 जून, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

7 मई, 2025

संचिका संख्या:-4/आरोप-702/2025 का. 2564--विभागीय प्रशाखा-4 (झारखण्ड सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों का स्थापना) के गै०स०प्रे०सं०-555 दिनांक-24.04.2025 द्वारा श्रीमती रेणु पाण्डेय तत्कालीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची (सम्प्रति-पदस्थापन की प्रतीक्षा में) के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची से प्राप्त पत्र एवं टिप्पणी अंश की प्रति उपलब्ध कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया ।

2. श्रीमती रेणु पाण्डेय, तत्कालीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची (सम्प्रति-पदस्थापन की प्रतीक्षा में) के विरुद्ध कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के पत्रांक-2813 दिनांक-12.11.2024 द्वारा श्रीमती पाण्डेय की सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को वापस की गई ।

3. उक्त के अनुपालन में श्रीमती पाण्डेय द्वारा दिनांक-14.11.2024 के पूर्वाहन में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया।

4. श्रीमती रेणु पाण्डेय को राज्यपाल सचिवालय में पदस्थापित किये जाने के प्रस्ताव के क्रम में माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री से प्राप्त निदेश के आलोक में श्रीमती रेणु पाण्डेय, तत्कालीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची (सम्प्रति-पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

5. निलम्बन की अवधि में श्रीमती पाण्डेय का मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया जाता है तथा श्रीमती पाण्डेय को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 में वर्णित प्रावधानों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्रीमती रेणु पाण्डेय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने सम्बन्धी आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

चिन्दु दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव।
